(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

23.5.25 पत्रावली पेश। उभय पक्ष वकील उपस्थित। अपीलांट वकील ने निवेदन किया कि मौजा सियागांव परबार हल्का पुर के नवीन ख.नं. 2027/176, 228, 229 रकबा 8.50 हैक्टेयर भूमी अपीलांट की पुश्तैनी भूमी है। बावजूद भू-प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा नामांतकरण अकेले रेस्पोंडेंट सं. 1 के पक्ष में कर दिया गया। जिससे प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति हुई है। उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी पर उक्त अपील के स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:30:45 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	रेस्पोंडेंट सं. 1 उक्त आराजी को अजनबी ब्रेता को बेचान करने पर तुले हुये है। अतः इन्हे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1 की ओर से बहस में निवेदन कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना गलत व मनगढ़त पेश किया है। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। —:आदेश:— अतः प्रार्थीया अपीलांट के पक्ष में रेस्पोंडेंट्स के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है कि मौजा सियागांव, पटवार हल्का पुर के खसरा नं. 2027/176, 228, 229 रकबा 8.90 हेक्टेयर में रेस्पोंडेंट [illegible] की यथा स्थिति [illegible] मिसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.05.27 17:50:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner